न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी 2056-I-15

चतुरभुज नायक पुत्र श्री द्वारिकाप्रसाद नायक पुजारी रामचन्द्रजी महाराज मंदिर,निवासी लुहरगुंवा, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ (म0प्र0)

—— आवेदन

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ (म0प्र0)

—— निगरानी

श्री .... एड
द्वारा आज दि 6/7/15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.7.15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश, भू–राजस्व संहिता 1959.

<u>विरूद्ध नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर, के प्रकरण क्रमांक 66/बी–121/ 2014–15 पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध।</u>

6/7/15

माननीय महोदय,

सेवा में आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, रामचन्द्रजी महाराज मंदिर ग्राम लुहरगंवा पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ (म0प्र0) में स्थित है। जिसका प्रबंधक कलेक्टर है। मंदिर की भूमि खसरा नं0294 लगायत 299/1 एवं 682 लगायत 688, 604, 406, 478, 517, 916, 918, 981, 986, 1117, 1128 कुल रकवा 20 एकड़ श्रीरामचन्द्र जी महाराज लुहरगंवा के राजस्व विभाग में दर्ज है।

2. यहकि, उक्त भूमि मंदिर के आधिपत्य एवं 100 वर्षो से अधिक से है एवं इस भूमि की उपज से ही मंदिर की जीर्ण उद्धार कार्य मंदिर की व्यवस्था का संचालन तथा मंदिर के पुजारी के परिवार की गुजर बसरि की जाती है। मंदिर के पुजारी के रूप में आवेदक को दिनांक 05.05.1982 आदेश से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी –2056–एक / 15 **जिला** –टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
5.8.15	यह निगरानी नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर द्वारा प्रकरण कमांक 66 / बी–121 / 2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.6.15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम पंचायत लुहरगुवां तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ के संकल्प दिनांक 20.6.14 से ग्राम लुहरगुवां स्थित रामराजा मंदिर के पुजारी (आवेदक) को हटाते हुये अन्य की नियुक्ति पुजारी पद पर की गई । इस संकल्प के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 156 / 13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.2014 से निरस्त होना प्रकरण के तथ्यों से प्रतीत हुआ । ग्राम लुहरगुंवा स्थित रामराजा मंदिर प्रबंधक कलेक्टर के नाम कुल किता 36 कुल रकवा 8.904 हैक्टेयर भूमि है । नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर ने इसी भूमि के उचित प्रबंधन हेतु प्रकरण कमांक 66 / बी–121 / 14–15 दर्ज किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 12.6.15 से मंदिर की भूमि नीलाम करने हेतु इश्तहार, प्रकाशन करने का आदेश दिया । इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3– शीघ्र सुनवाई का आवेदन आने पर निगरानी की ग्राह्यता पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से मध्य प्रदेश शासन, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग, भोपाल के आदेश कमांक एफ	

7—9/2007/छः दिनांक 25 नवम्बर 2014 की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया कि शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिरों की भूमियां नीलाम न की जाकर पुजारियों के लिये प्रदान की जावें ।

4— आवेदक द्वारा म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी मेमों के तथ्यों पर एवं प्रदेश शासन, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग, भोपाल के आदेश कमांक एफ 7—9/2007/छः दिनांक 25 नवम्बर 2014 पर विचार किया गया। विचाराधीन निगरानी म0प्र0, भू—राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत ग्राह्य योग्य नहीं है क्यों कि विचाराधीन मामले के आधार प्रदेश शासन, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी विभिन्न सरक्यूलर्स एवं आदेशों के अंतर्गत है, जिसके कारण नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर द्वारा प्रकरण कमांक 66/बी—121/14—15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.6.15 के विरूद्ध अपील/निगरानी म0प्र0, शासन, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति कमांक 169—2138/छः/86 दिनांक 10 फरवरी 1987 एवं एफ—7/8/2001/छः/165 दिनांक 29 जनवरी 2001 के अंतर्गत होगी।

5— उपरोक्त कारणों से निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकॉर्ड रूम में जमां करें।

सदस्य